

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15 दिनांक.....

श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित आरोप (पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019) एवं अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) के आलोक में श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10841 दिनांक-06.08.2019 द्वारा संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-57/2019,सा०प्र०...../पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-57/2019,सा०प्र०.....12092...../पटना, दिनांक.....3-9-19.....
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना
/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/श्री
राजीव कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा/अवर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा-12,14/चारित्र्य कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(7)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प :: 10841

पटना-15 दिनांक 6.8.19

श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमंडल, दरभंगा के साथ अभद्रता के साथ बात करने, घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी देने एवं सरकारी पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) का जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) उपलब्ध कराया गया।


उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1302/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



5.8.19

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-57/2019, सा०प्र०, 10841/पटना, दिनांक 6.8.19


प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।


5.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-57/2019, सा०प्र०, 10841/पटना, दिनांक 6.8.19


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना /आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा /जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12,14/चारित्री कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


5.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27/आरोप-01-57/2019, सा०प्र०, 10841/पटना, दिनांक 6.8.19

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


5.8.19

सरकार के अवर सचिव।